राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा./पेयजल/2017/5321-46 जयपुर, दिनांक 18.5.17

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू,
जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर,
पाली, राजसमंद एवं उदयपुर (राज0)।

विषयः– अभाव खरीफ सम्वत 2073 में अभावग्रस्त ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अभाव खरीफ सम्वत् 2073 में अभावग्रस्त जिलों में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैंः–

अभावग्रस्त जिलों में खरीफ सम्वत् 2073 में **बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर एवं झालावाड़** जिले के कुल गांवों में से अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण सम्पूर्ण जिले में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था की जा सकती है एवं शेष जिलों क्रमशः **अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर** में घोषित अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने के कारण आवश्यकतानुसार केवल अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में पेयजल परिवहन व्यवस्था राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ1(4)आ.प्र.एवंसहा./सामान्य/2016/14608–40 दिनांक 30.11.2016 से आपके जिले के प्रभावित ग्रामों को सम्वत् 2073 में खरीफ फसल खराबे के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 15.07.2017 तक प्रभावी रहेगी। भारत सरकार द्वारा पत्रांक 32–7/2014 दिनांक 08.4.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के तहत व्यय हेतु जारी मानदण्डों के अनुरूप राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से विभागीय दिशा–निर्देश **जारी करने की दिनांक से अभाव अवधि की अंतिम तिथि** दिनांक 15.7.2017 के दौरान प्रभावित जिलों के अभावग्रस्त ग्रामों व नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार आपातकालीन पेयजल परिवहन की स्वीकृति जारी करने एवं भुगतान किये जाने हेतु जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाता है। इस हेतु निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएः–

1. एसडीआरएफ नॉर्म्स के बिन्दु संख्या–6 (ii) के तहत पशु शिविरों/गौशालाओं में संधारित पशुओं के लिए पेयजल व्यवस्था की जाए।

2. जिले के आबादी क्षेत्रों में जहां नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ़/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहां सर्वप्रथम यह प्रयास किये जावें कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्था/दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर पेयजल की आपूर्ति की जाए।

3. स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की सम्भावना यदि कम/नगण्य हो तो निम्नानुसार व्यवस्था की जायेः–

3.1 ऐसे गांव जहां अनावृष्टि के कारण पेयजल स्त्रोत उपयोगी नहीं रह गये हैं तथा 1.0 कि.मी. की परिधि में कोई भी पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहां संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए।

3.2 ऐसे ग्राम, जंहां पेयजल योजनाएं विद्यमान है परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गई है वहां भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि में की जाए।

4. यदि पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकर्स किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस हेतु निम्न समिति से दरों का निर्धारण आगामी बिन्दुओं में दिये गये प्रावधान अनुसार कराया जाएः–

अ.	जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो अति जिला कलेक्टर स्तर से कम न हो	अध्यक्ष
ब.	अधीक्षण अभियन्ता जन.स्वा.अभि.विभाग का प्रतिनिधि जो अधिशाषी अभियंता से कम न हो	सदस्य
स.	कोषाधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि अथवा लेखाधिकारी कलेक्टर कार्यालय	सदस्य

5. सामान्यतया व्यावहारिक रूप से एक टैंकर द्वारा 5 से 7 ट्रिप ही किये जा सकते हैं। अतः टेंकर परिवहन के सम्बन्ध में प्रतिदिन प्रति टेंकर ट्रिप्स के सम्बन्ध में व्यावहारिक मानदण्ड प्रसारित कर उसकी निरन्तर निगरानी करें। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी निरन्तर निरीक्षण करें। वे यह विशेष ध्यान रखें कि किसी भी टैंकर की ट्रिप संख्या अव्यावहारिक न हो।

6. **आपातकालीन पेयजल परिवहन हेतु केवल उन्हीं टैंकरों को अनुमत किया जावेगा जिस पर जीपीएस व फ्लो मीटर लगा हुआ हो ताकि पेयजल परिवहन कार्य की प्रभावी मोनिटरिंग की जा सके।**

7. **तहसीलदार द्वारा टैंकर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावेगा।**

8. अभावग्रस्त क्षेत्रों में एस.डी.आर.एफ. के तहत पेयजल आपूर्ति के लिये आवश्यकता होने पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सी.डब्ल्यू.आर. में जल भरा जाकर पानी की आपूर्ति की जा सकती है, इस प्रकार किये गये जल परिवहन का प्रमाणीकरण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जावेगा एवं जिला कलेक्टर के सन्तुष्ट होने की स्थिति में ही विभाग को ऑन लाईन मांग प्रस्तुत की जावेगी।

9. जिन अभावग्रस्त गांवों में पेयजल परिवहन हेतु किराये के टेंकर की व्यवस्था की जानी है, वहां वह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति एवं साधन यथा सम्भव स्थानीय हो।

10. ऐसे जिले जहां पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा टैंकर्स उपलब्ध कराये हुये हैं जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे टैंकर्स हेतु अधिशेष घोषित वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चालक एवं खलासी के पदों पर लगाया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जाए। यदि उक्त श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो भूतपूर्व सर्विसमैन अथवा सेवा निवृत वाहन चालक एवं खलासियों को राज्य सरकार द्वारा जारी प्रचलित आदेश में स्वीकृत दरों के अनुसार रख लिये जाए।

11. **सभी अभावग्रस्त गांवों में** पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार सम्भावित गांवों के लिए पेयजल परिवहन की दरें पूर्व में ही निर्धारित कर ली जावे। दरों का निर्धारण पूर्व वर्षो में निर्धारित दरों, मूल्य वृद्धि, बाजार की प्रचलित दरों एवं न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए कमेटी द्वारा निर्धारित की जावे। दरों का निर्धारण भिन्न भिन्न वाहनों यथा टैंकर की पानी की क्षमता के अनुसार पक्के/कच्चे रास्ते (Route) की अलग अलग की जावे एवं पेयजल स्त्रोत से वितरण स्थल (Destination) तक का रूट चार्ट सम्बन्धित पंचायत समिति के कनिष्ट अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से अनुमोदन कराया जावे, जिसके अनुसार ही भुगतान कराया जावे।

12. जिला कलक्टर के स्तर पर कमेटी द्वारा दरों के निर्धारण उपरान्त पेयजल परिवहन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी जायेगी। ग्राम पंचायतें इन निर्धारित दरों पर टैंकर किराये पर लेकर पेयजल की आपूर्ति गांव में कर सकती है। पेयजल परिवहन के बिलों का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर पाक्षिक रूप से करने के उपरान्त तहसील स्तर से इसका भुगतान किया जाए। तहसीलदार द्वारा इन बिलों के प्राप्त होने के पश्चात इनका भुगतान एक सप्ताह के भीतर कराया जावेगा।

13. (i) **शहरी एवं नगरपालिका क्षेत्रों में** पेयजल परिवहन का कार्य पीएचईडी के माध्यम से कराया जायेगा। इसके लिये जलदाय विभाग, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार टैंकर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगा। शहरी क्षेत्र में दरों का निर्धारण बिन्दु संख्या 4 में अंकित समिति द्वारा वित्तीय नियमों के प्रावधानुसार टेण्डर प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

(ii) टैंकरों की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पूर्व के पांच सालों में कम से कम दर को या जिला प्रशासन उससे कम दरों को आरक्षित कर रजिस्टर्ड ठेकेदारों तथा अपंजिबद्ध ठेकेदार या पार्टियों को सामूहिक रूप से दर दिये जाने का मौका देवें तथा उस दर से कम दर वाले को या उसी दर पर अन्य लोगों का ठेका आवश्यकतानुसार दिया जावे।

14. पेयजल का वितरण सही हो, इसके लिए जहां से पानी रवाना हो, वहां अस्थाई चैक पोस्ट या उस स्त्रोत से टैंकर मालिक को तीन कूपन जारी किये जाए, जिसमें पानी की मात्रा, टैंकर रवाना होने का समय, दिनांक तथा टैंकर ले जाने का नाम एवं टैंकर नम्बर दर्ज किया जाए, उसकी एक कार्यालय प्रति होगी तथा दो प्रति टैंकर वाले को दी जाए। टैंकर चालक जिस गांव/शहरी क्षेत्र में जाए, उस गांव/शहरी क्षेत्र के दो आदमियों के तथा एक महिला के हस्ताक्षर करायें। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम गांवों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय

निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए। इस रसीद शुदा कूपन को टैंकर मालिक द्वारा टैंकरों के बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा उस कूपन की ऑफिस की प्रति से मिलान कर भुगतान किया जाए। कूपन जिला कलेक्टर द्वारा मुद्रित कराये जाकर सम्बन्धित कार्यकारी ग्राम पंचायत/जलदाय विभाग को उपलब्ध कराये जावेंगे। कूपनों पर क्रमांक (सीरियल नम्बर) मुद्रित कराये जायेंगे। जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कूपन ही पेयजल परिवहन हेतु मान्य होंगे। मुद्रित एवं वितरित कूपनों का लेखा जिला कार्यालय एवं सम्बन्धित कार्यकारी अधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।

15. पेयजल विभाग की स्कीमों के टैंकरों का भुगतान भी राहत मद से कलक्टर द्वारा अनुमत किया जा सकता है। जलदाय विभाग की स्कीम में यदि अचानक पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जलदाय विभाग के अधिकारी द्वारा जिला क़लक्टर को सूचित कर तदानुसार ही पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

16. जो गांव जलदाय विभाग से जुड़े हुए नहीं है और गांवों में पानी की समस्या है तो उन गांवों की व्यवस्था भी जिला कलक्टर द्वारा की जाए।

17. पेयजल स्त्रोत के रूप में यदि जिला कलक्टरों को किसी निजी कुए या टयूबवैल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके लिए किराये का निर्धारण कर अधिग्रहण कर लिया जाए।

18. निर्धारित दरों पर कोई टेण्डरकर्ता पेयजल परिवहन नहीं करता है तथा जिला कलक्टर को अचानक आवश्यकता पड़ती है तो बिन्दु संख्या 4 में गठित कमेटी से नई दरें तय करवा ली जाए। ऐसे टेण्डर दाता की जमानत राशि जब्त कर ली जाए एवं उसे हमेशा के लिए ब्लेक लिस्ट किया जाए।

19. पेयजल उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से जिला कलेक्टर के स्तर पर की जाए। जिसमें पी.एच.ई.डी. विद्युत वितरण कम्पनी., राजस्व विभाग एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समीक्षा बैठक में शामिल किया जाए।

20. जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल के अभाव की स्थिति का निरन्तर आंकलन एवं पेयजल व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाकर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए।

21. जिला कलक्टर, उपखण्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल समीक्षा समिति के गठन हेतु आदेश जारी करेंगे। जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगाः–

उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
सहायक अभियन्ता, जन स्वा.अभि.विभाग	सदस्य सचिव
विकास अधिकारी	सदस्य
तहसीलदार	सदस्य

22. पेयजल परिवहन हेतु स्थान का चयन उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा अधिकृत स्थानों पर अनुज्ञय दिनांक से अनुज्ञय मात्रा में प्रतिदिन पेयजल परिवहन ग्राम पंचायत /जन स्वा.अभि.विभाग द्वारा करवाया जाव्रेगा। यदि कोई पंचायत प्रंशासन के आदेश के बावजूद भी पेयजल परिवहन करवाने में किसी भी कारणवश असमर्थ रहती है तो यह कार्य तहसीलदार /जलदाय विभाग के माध्यम से अनुमोदित दरों पर करवाया जावेगा।

23. अभावग्रस्त क्षेत्र (ग्रामीण एवं शहरी) के सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता, ग्राम प्रभारी/पटवारी, ग्रामसेवक पदेन सचिव, सरपंच, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि

तथा मनोनीत अधिकारी/कर्मचारी के प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है) के पश्चात ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

16/5/17

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज.,जयपुर
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ,राज.,जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
9. निजी सचिव, सम्बन्धित जिलों के प्रभारी सचिव।
10. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।

16/5/17

शासन उप सचिव

पेयजल वितरण प्रमाण पत्र
(ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

यह प्रमाणित किया जाता है कि टैंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर .....चालक श्री.....
..... दिनांक..... से दिनांक..... तक ग्राम.....
..... पंचायत ..... तहसील..... जिला ..... में .....
..... कुल फेरे लगाकर ..... किलो लीटर पेयजल वितरण किया गया।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
ग्राम सेवक	पटवारी	सरपंच	कनिष्ठ अभियन्ता
एवं पदेन सचिव			जन स्वा.अभि.वि.

पेयजल वितरण प्रमाण पत्र
(शहरी क्षेत्र हेतु)

यह प्रमाणित किया जाता है कि टैंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर ..... के चालक श्री .....
.....द्वारा दिनांक ..... से दिनांक ..... तक .....
.....शहर के वार्ड संख्या ..... में कुल .....फेरे लगाकर .....
.....किलो लीटर पेयजल वितरण किया गया।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नगरपालिका / नगरपरिषद / नगर निगम अथवा नगर सुधार न्यास के प्रतिनिधि(संबंधित शहरी क्षेत्र अनुसार)	जिला कलक्टर द्वारा वार्ड हेतु मनोनीत अधिकारी / कर्मचारी	कनिष्ठ अभियंता, जन स्वा.अभि.वि.